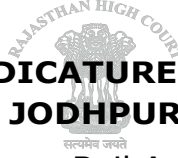




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3088/2026

Shiv Kumar S/o Kali, Aged About 38 Years, Resident Of House Number 04323/01/10, Morwari Nasik, District Nasik Maharashtra, Main Residential, Shiv Kumar Son Of Kali, By Caste Kamat, Resident Of Chapahi, Thana Rajnagar, District Madhubani Bihar. (Presently Lodged At District Jail Bhilwara)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Veer Bajrang Singh, Mr. Dinesh Bishnoi for Mr. Jagatveer Singh Deora
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/03/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 64(1), 65(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/4(ii) पोक्सो अधिनियम, धारा **3(1)(r)(w)(i), 3(2)(v)** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि इस मामले में विचारण के दौरान पीड़िता बतौर पीडब्ल्यू 1 परीक्षित हुई है, जो पक्षद्रोही घोषित हुई है। पीड़िता ने स्वयं के साथ कोई घटना नहीं होना और कुछ भी नहीं होना बताया है, जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से उसे पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है। पुलिस बयान गलत होना बताया तथा न्यायालय के बयान में पुलिस वालों के दबाव में लिखाया जाना बताया। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।



04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।
05. जमानत आवेदन पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। पीड़िता द्वारा न्यायालय में बतौर पीडब्ल्यू 1 दिये गये बयान का अवलोकन किया जिसमें पीड़िता स्पष्ट रूप से पक्षद्रोही घोषित हुई है और प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं देती है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी-अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।
07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी **शिव कुमार पुत्र काली** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J